

This is just a draft proforma of EWS Sale Deed which will be change according to the terms & conditions, norms & approval of the Kanpur Development Authority.

विक्रय विलेख का संक्षिप्त विवरण

1. भवन का प्रकार	:	आवासीय
2. मोहल्ला/ग्राम	:	एल्डिको बसेरा, एल्डिको काउंटी परिसर, सेक्टर-09, जवाहरपुरम, (बारासिरोही), कानपुर – 209217
3. वार्ड	:	कानपुर / सेक्टर-09, जवाहरपुरम, (बारासिरोही)
4. सम्पत्ति का विवरण	:	आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.)_____
5. मापन की इकाई	:	वर्गमीटर में।
6. निर्मित क्षेत्रफल	:	_____ वर्गमीटर
7. आच्छादित क्षेत्रफल	:	_____ वर्गमीटर
8. सड़क की स्थिति	:	_____
9. अन्य विवरण	:	_____
10. विक्रय मूल्य	:	_____/–
11. मालियत	:	_____/–
12. स्टाम्प	:	_____/–
1. विक्रेता का विवरण	:	कानपुर विकास प्रधिकरण
2. लाईसेंसी/सहमति पक्षकार	:	एल्डिको टाउनशिप्स एण्ड हाउसिंग लिमिटेड अधिनियम, 1956 के प्राविधानों के अन्तर्गत गठित कम्पनी
3. क्रेता का विवरण	:	

विक्रय विलेख

प्रस्तुत

विक्रय

विलेख

_____ (जिसे एतद् पश्चात् "विक्रेता" सम्बोधित किया गया है तथा जिसमें निष्पादनकर्ता, प्रशासक, अधिकृत प्रतिनिधि, हस्तान्तरिती सम्मिलित माने जाएंगे)।

व

_____ (जिसे लाईसेंसी या सहमति पक्षकार सम्बोधित किया गया है तथा जिसमें निष्पादनकर्ता, प्रशासक, अधिकृत प्रतिनिधि, हस्तान्तरिती सम्मिलित माने जाएंगे)

एवम्

_____, (जिन्हें एतद् पश्चात् "क्रेता" सम्बोधित किया गया है तथा जिसमें निष्पादनकर्ता, उसके उत्तराधिकारी, हस्तान्तरिती, विधिक प्रतिनिधि, आदि सम्मिलित होंगे)।

1.1

विदित हो कि कानपुर विकास प्रधिकरण नगरीय क्षेत्रों में सुनियोजित रूप से आवासीय योजनाओं के विकास में निजी पूंजी निवेश आकर्षित/प्रोत्साहित करने हेतु टाउनशिप नीति का निर्धारण किया गया था ताकि निजी क्षेत्र के विकासकर्ता टाउनशिप का विकास/निर्माण सुचारु रूप से कर सकें एवं शहर में भवन की मांग को भी पूरा किया जा सके। (एल्लिको टाउनशिप्स एण्ड हाउसिंग लिमिटेड जाना जाता है) इसने कानपुर विकास प्रधिकरण से लगभग _____ एकड़ भूमि पर टाउनशिप नीति के तहत लाइसेन्स प्राप्त कर (_____ दिनांक _____) सेक्टर-09 जवाहरपुरम, (बारासिरोही), कानपुर में एक टाउनशिप का निर्माण किया है। जिसे यहां पर "(एल्लिको काउंटी) टाउनशिप" कहा गया है।

विदित हो कि विक्रेता द्वारा टाउनशिप में कानपुर विकास प्रधिकरण की नीती के अनुसार दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग भवनों के निर्माण किये हैं। विदित हो कि लाईसेंसी (सहमति पक्षकार) ने प्लॉट नं0 _____ जिसका क्षेत्रफल _____ वर्गमीटर पर बहुमंजिल भवन जिसका नाम "एल्लिको बसेरा" (ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट) का निर्माण किया है जिनका आवंटन कानपुर विकास प्रधिकरण द्वारा निर्धारित नीति के तहत किया गया है।

विदित हो कि आर्थिक नीति के अनुसार दुर्बल आय वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.)

_____ (जिसे एतदपश्चात् "फ्लैट" कहा गया है) एलडिको काउंटी परिसर, सेक्टर.09, जवाहरपुरम, (बारासिरोही), कानपुर – 209217 में आवंटित किया गया है, क्रेता द्वारा इस विक्रय विलेख के अन्त में दिये गये विवरण अनुसार फ्लैट का विक्रय मूल्य लाईसेंसी को अदा कर दिया है।

विदित हो कि विक्रेता व लाईसेंसी/ सहमति पक्षकार यह घोषित करता है कि वह उपरोक्त फ्लैट के हर प्रकार के भारों, वाद-विवाद यथा पूर्व विक्रय, हिबा आदि से मुक्त एवं पाक साफ है।

विदित हो कि क्रेता ने उपरोक्त फ्लैट के सम्बन्ध में विक्रेता के स्वामित्व आदि का भली-भांति जांच कर ली है तथा संतुष्ट होकर वह आवंटित उपरोक्त फ्लैट की गुणवत्ता का भली-भांति निरीक्षण कर उस पर विक्रेता के स्वामित्व एवं फ्लैट की गुणवत्ता आदि से पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर इस विक्रय विलेख का निष्पादन किया है।

अतः यह विक्रय विलेख साक्ष्य है कि :-

1. यह कि लाईसेंसी, ने क्रेता से दुर्बल आय वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) फ्लैट संख्या _____, स्थित एलडिको काउंटी परिसर, सेक्टर-09, जवाहरपुरम, (बारासिरोही), कानपुर – 209217 (जिसका विस्तृत विवरण इस विलेख के अन्त में दी गई परिशिष्ट में दिया जा रहा है तथा ले-आउट प्लान संलग्न किया जा रहा है) का विक्रय मूल्य **रु० _____/-** (रु० _____) भुगतान विवरण अनुसार प्राप्त कर फ्लैट को क्रेता के पक्ष में अन्य शर्तों सहित इस शर्त के साथ विक्रय किया गया है कि क्रेता फ्लैट को आवंटन की तिथि से 5 वर्षों अथवा देय लागत जमा करने की तिथि जो भी बाद में हो तक किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में विक्रय/ हस्तान्तरित नहीं करेगा।
2. यह कि इस विक्रय विलेख पर क्रेता के हस्ताक्षर के साथ-साथ फ्लैट का कब्जा प्रदान किया गया है तथा क्रेता फ्लैटसे सम्बन्धित एरिया/डाइमेन्सन/भवन की कीमत/अन्य चार्ज/निर्माण गुणवत्ता/स्पेसिफिकेशन्स/विभिन्न संयोजन जैसे – विद्युतीय कार्य, सैनिटरी फिटिंग्स, जल, सीवर कनेक्शन आदि से पूर्ण रूप से संतुष्ट है। क्रेता यह स्वीकार करता है कि फ्लैट के

सम्बन्धित एरिया/डाइमेन्सन/भवन की कीमत/अन्य चार्ज/निर्माण गुणवत्ता/स्पेसिफिकेशन्स/विभिन्न संयोजन से पूर्ण रूप से सन्तुष्ट है।

3. यह कि पंजीकरण पुस्तिका, आवंटन पत्र में अंकित नियम एवं शर्तें क्रेता पर हमेशा बाध्यकारी होंगी।
4. यह कि क्रेता द्वारा क्रय कि गया फ्लैट बहुमंजिला आवासीय इमारत में स्थित फ्लैट है जिस पर उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (प्रमोशन ऑफ कॉन्स्ट्रक्शन एण्ड मेन्टीनेन्स) एक्ट, 2010 के प्राविधान क्रेता पर पूर्ण रूप से बाध्यकारी होंगे। क्रेता द्वारा क्रय किये गये फ्लैट में उसके अधिकार उक्त अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अधीन होंगे।
5. यह कि क्रय किये गये फ्लैट में क्रेता द्वारा किसी प्रकार का बदलाव व अतिरिक्त निर्माण नहीं करेगा और न ही फर्श या छत को कोई नुकसान पहुंचाएगा। दो फ्लैटों की दीवार कामन दीवार है जिसमें आधा भाग क्रेता का है तथा शेष आधा भाग संलग्न फ्लैट के क्रेता का है। क्रेता तथा संलग्न फ्लैट के स्वामी दोनों को ही कामन दीवार को तोड़ने या क्षति पहुंचाने का अधिकार नहीं होगा एवं क्रेता फ्लैट का केवल आवासीय उपयोग ही करेगा।
6. यह कि विक्रय किये गये फ्लैट का उपयोग क्रेता उसी रूप में करेगा जिस रूप में फ्लैट का कब्जा क्रेता को दिया गया है। क्रेता कामन एरिया, सीढ़ियाँ, लॉबी एवं अन्य सुविधाओं का उपयोग अन्य फ्लैट के स्वामियों या अध्यासियों की भांति कर सकेंगे, क्रेता, या किसी भी अन्य फ्लैट के स्वामी को कामन एरिया एवं अन्य सुविधाओं को अन्य क्रेताओं के साथ मात्र उपयोग का अधिकार होगा, स्वामित्व का अधिकार न होगा, कॉमन एरिया, सीढ़ियाँ, लॉबी या अन्य सुविधाओं का विभाजन नहीं किया जा सकेगा। यदि क्रेता द्वारा इस शर्त का किसी प्रकार से उल्लंघन किया जाता है तो उस पर विक्रेता/लाईसेंसी या काम्प्लेक्स की एसोसिएशन/मेन्टीनेन्स एजेन्सी द्वारा दण्ड आरोपित करने, दण्ड शुल्क वसूलने तथा आरोपित दण्ड के क्रियान्वयन करने का अधिकार होगा।
7. क्रेता काम्प्लेक्स के अन्य भवन स्वामियों द्वारा गठित या गठित की जाने वाले एसोसिएशन की सदस्यता ग्रहण करेगा तथा एसोसिएशन की उपविधियों, नियम आदि का क्रेता द्वारा अनुपालन किया जायेगा। वादित हो कि क्रेता टाउनशिप के अन्य भवन स्वामी द्वारा गठित की जाने वाली एसोसिएशन ग्रहण करेगा तथा टाउनशिप की एसोसिएशन के उपनियमों और उपविधियों, नियम आदि का अनुपालन करेगा।
8. यह कि क्रेता एवं काम्प्लेक्स के अन्य फ्लैट के स्वामियों द्वारा सोसाइटी का गठन करना होगा, जिसमें प्रत्येक फ्लैट स्वामी आवश्यक रूप से सदस्य होगा, इस प्रकार गठित समिति पर ग्रुप हाउसिंग के फ्लैटों हेतु प्रदत्त मूलभूत सुविधायें (जल, मल निस्तारण एवं बिजली) तथा स्थित

कामन उपयोग हेतु सुविधाओं के रख-रखाव की जिम्मेदारी होगी जिसके संचालन हेतु क्रेता द्वारा समानुपातिक राशि का भुगतान तथा अन्य विशेष व्यय की देयता समिति को होगी।

9. यह कि क्रेता काम्प्लेक्स में मेन्टीनेन्स सुविधा प्राप्त करने के लिये लाईसेंसी या उसके द्वारा अधिकृत/नियुक्त किये गये मेन्टीनेन्स एंजेसी के साथ अनुबन्ध निष्पादित किया है। क्रेता मेन्टीनेन्स के समस्त नियम एवं शर्तों को स्वीकार करता है तथा लाईसेंसी /मेन्टीनेन्स एंजेसी द्वारा समय-समय पर दिये गये डिमान्ड/बिल/चार्जेज का भुगतान करने के लिए बाध्य होता है। मेन्टीनेन्स डिमान्ड/बिल/चार्जेज का भुगतान न करने की स्थिति में लाईसेंसी /मेन्टीनेन्स एंजेसी मेन्टीनेन्स अनुबन्ध पत्र के तहत उचित कार्यवाही करने के हकदार होंगे।
10. यह है कि सुरक्षा एवं रख-रखाव कर्मी काम्प्लेक्स/टाउनशिप के मामलों के प्रबन्धन कार्यों के लिये होते हैं और काम्प्लेक्स/टाउनशिप में आम क्षेत्रों और सुविधाओं के लिए स्थापित उपकरणों/प्लांट और मशीनरी की सुरक्षा और रख-रखाव के लिए होते हैं। किसी भी स्थिति में विक्रेता/ लाईसेंसी/ रख-रखाव एंजेसी/सुरक्षाकर्मी क्रेता और क्रेता के यहाँ आने वाले आगन्तुकों की सम्पत्ति/सामान की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। क्रेता और उसके आगन्तुकों की सम्पत्ति/सामान की सुरक्षा की पूरा जिम्मेदारी क्रेता की होगी।
11. यह कि क्रेता द्वारा उपयोग किये गये विद्युत व्यय या लगने वाले सरकारी कर, फीस या अन्य देयों के अदा करने की जिम्मेदारी क्रेता की होगी। यदि किसी कारणवश क्रेता के पक्ष में किसी अवधि के विद्युत व्यय या बिल या किसी कर, फीस या अन्य सरकारी या अर्धसरकारी, स्थानीय निकाय आदि द्वारा वसूली विक्रेता से होती है तो उसकी मय हर्जे-खर्चे से भरपाई करने की जिम्मेदारी क्रेता की होगी।
12. यह कि फ्लैट आवंटन की तिथि से 05 वर्षों अथवा देय लागत जमा करने की तिथि, जो भी बाद में हो, के पश्चात् ही क्रेता विक्रय करने, मार्टगेज करने, पट्टा करने, उपहार करने, बदलने या उक्त फ्लैट के कब्जे के साथ अन्य भाग के रूप में किसी भी व्यक्ति को प्रदान कर सकता है बशर्ते कि विक्रेता उक्त फ्लैट के विक्री/हस्तान्तरण के पहले विक्रेता/ लाईसेंसी /मेन्टीनेन्स एंजेसी से मेन्टीनेन्स चार्जेज/बकाया भुगतान आदि के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा और इस सम्बन्ध में क्रेता लागू प्रशासकीय चार्जेज का भुगतान विक्रेता को करेगा। यदि उक्त फ्लैट किसी दशा में विक्रेता/ लाईसेंसी/ मेन्टीनेन्स एंजेसी से बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बेचा/हस्तान्तरण किया जाता है तो मेन्टीनेन्स के मद में बकाया धनराशि का भुगतान हस्तान्तरी द्वारा देय होगा।
13. यह कि क्रेता स्वीकार करता है कि उक्त फ्लैट का आवंटन लीज होल्ड के आधार पर किया गया है तथा आवंटन की तिथि से 05 वर्ष अथवा देय लागत जमा करने की तिथि जो भी बाद

में हो, तक उक्त फ्लैट के विक्रय/हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध रहेगा। 05 वर्ष के पश्चात् यह फ्री होल्ड माना जायेगा।

14. यह है कि क्रेता जब भी उक्त फ्लैट का किसी भी रूप में हस्तान्तरण करता है तो आवंटन की, मेन्टीनेन्स समझौता की, कब्जा अभिलेख और इस विक्रय विलेख के सभी नियम व शर्तें हस्तान्तरी पर लागू होंगी और वह उससे सम्बन्धित सभी चीजों का उत्तरदायी होगा।
15. यह कि क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह इस विक्रय विलेख के आधार पर सरकारी विभागों तथा कानपुर नगर निगम, कानपुर जल निगम, किसी सरकारी विभाग या स्थानीय निकाय आदि में अपना नाम अंकित करा लें।
16. यह है कि क्रेता का टाउनशिप में निर्मित सामुदायिक सुविधाओं, व्यवसायिक जगहों, स्कूल, क्लब आदि पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा तथा लाईसेंसी उपरोक्त को जैसे उपयुक्त समझता है उनका निस्तारण/हस्तान्तरण/प्रबन्धन/क्रियान्वयन करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होगा। क्रेता का सामुदायिक सुविधाओं, व्यवसायिक जगहों, स्कूल, क्लब आदि की बुकिंग/आवंटन/विक्रय पर तथा उनके प्रबन्धन व उनके क्रियान्वयन/निस्तान्तरण पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।
17. यह है कि टाउनशिप के अन्दर बने क्लब का सम्पूर्ण अधिकार लाईसेंसी के पास ही निहित हैं। यह कि क्रेता काम्प्लेक्स के अन्दर स्थित क्लब/सामुदायिक सुविधाओं का उपयोग तभी प्राप्त कर सकता है जब वह उस क्लब की सदस्यता अगर दी गयी हो तो व उससे सम्बन्धित सदस्यता शुल्क एवं उपयोग प्रभारों का भुगतान लिया जा रहा हो।
18. यह कि क्रेता इस विक्रय विलेख के निष्पादन की तिथि के पश्चात् फ्लैट तथा फ्लैट व उसके अन्दर रखे गये सभी सामान/सामग्री का बीमा अपने हर्जे-खर्चे पर करेगा।
19. यह कि क्रेता को, जिस भूमि पर फ्लैट निर्मित है उसमें उसके फ्लैट के अनुपात में समानुपातिक भूमि का संयुक्त अधिकार प्राप्त होगा। क्रेता को भूमि में प्राप्त अधिकार बटवारे का अधिकार नहीं होगा।
20. यह कि क्रेता उक्त फ्लैट से सम्बन्धित सभी नियम व शर्तों का पालन अपने खर्चे पर करेगा। क्रेता कोई भी आपत्तिजनक वस्तु, विस्फोटक तथा ज्वलनशील पदार्थ उक्त फ्लैट में नहीं रख सकता है। क्रेता सदैव विक्रेता/ लाईसेंसी या मेन्टीनेन्स एजेन्सी अथवा रेजीडेन्ट एसोसिएशन या सोसाइटी को उक्त फ्लैट से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के सिविल या अपराधिक उत्तरदायित्वों से हानिरहित रखेगा।
21. यह कि क्रेता इस बात की घोषणा करता है कि वह उस स्थिति में जबकि विक्रेता/ लाईसेंसी को इस विक्रय विलेख के निष्पादन के उपरान्त किसी प्रकार की क्षति, दण्ड, टैक्स, हर्जाना,

अतिरिक्त खर्च या क्षति पहुंचती है तो वह विक्रेता/ लाईसेंसी को इन सभी कारणों से क्षति रहित रखने हेतु वचन देता है।

22. (क) यह कि टाउनशिप में सभी सुविधाएं एवं सुख के साधन विभिन्न चरणों में पूरे किये जायेंगे। टाउनशिप का पूरा होना और इन सभी सुविधाओं और सुख साधनों का टाउनशिप के पूर्ण होने तक प्राविधानित होगा और हो सकता है कि ये सुविधाएँ आदि उक्त प्लैट के कब्जा देने के समय प्लैट/काम्पलेक्स में उपलब्ध न हों इसलिए आवंटी इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा या विवाद नहीं करेगा।
- (ख) यह कि क्रेता काम्पलेक्स में किसी भी स्थिति में स्वीकृत निर्माण या विकास किये जाने के सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति नहीं करेगा। भविष्य में यदि काम्पलेक्स में अतिरिक्त निर्माण की अनुज्ञा दी जाती है तो विक्रेता को अतिरिक्त निर्माण व विकास का नियम अनुंसार पूर्ण अधिकार होगा इस प्रकार निर्मित व विकसित सम्पत्तियों को विक्रय करने का अधिकार विक्रेता/ लाईसेंसी को होगा।
- (ग) लाईसेंसी को अतिरिक्त निर्माण व विकास में उपलब्ध करायी गयी सेवाओं जैसे कि बिजली, पानी, सीवर, ड्रेनेज आदि सुविधाओंको पूर्व में स्थित सुविधाओं से जोड़े जाने का भी अधिकार होगा।
- (घ) क्रेता द्वारा सभी के उपयोग किये जाने वाले क्षेत्र, सीढ़ियों आदि पर अतिक्रमण का अधिकार न होगा तथा उन सुविधाओं जिनके प्रयोग किये जाने की अनुमति नहीं होगी उनका प्रयोग नहीं करेगा। बॉलकनी, कामन क्षेत्र जैसे कि बॉलकनी, कॉरीडोर, सीढ़ियों इत्यादि पर किया गया अतिक्रमण अनाधिकृत होगा जिसको कि अतिक्रमणकर्ता के खर्चे पर विक्रेता/ लाईसेंसी या मेन्टीनेन्स एजेन्सी अथवा वहां के निवासियों द्वारा निर्मित संस्था को हटाये जाने का पूर्ण अधिकार होगा।
23. यह कि दुर्बल आय वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के सम्बन्ध में कोई भी नीति/निर्देशन/सरकारी आदेश क्रेता पर पूर्णतः लागू होगा तथा आवंटी द्वारा विक्रेता पर भी उक्त शासनादेश आदि पूर्णतः लागू होगा जिसके अनुपालन के लिए भविष्य के अन्तरिती भी पूर्णतः बाध्य होंगे।
24. यह कि उक्त सम्पत्ति का विक्रय मूल्य रू0 _____/- है। उक्त प्लैट _____ तलपर स्थित है। उक्त प्लैट का निर्मित क्षेत्रफल रकबा _____ वर्गमीटर है, जिसका निर्माण साधारण श्रेणी का है जिसके अनुसार बाजारू मूल्य मुबलिग रूपया _____/- प्रति वर्गमीटर की दर से रूपया _____ होता है एवम विक्रयशुदा प्लैट की आनुपातिक क्षेत्रफल—_____ वर्गमीटर है, चूंकि ग्रुप हाउसिंग सम्पत्ति

_____ मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है, जिसके अनुसार निर्धारित बाजारू मूल्य मुबलिंग रू0 _____/-प्रति वर्गमीटर की दर से बाजारू मूल्य रू0 _____/-होती है, इस प्रकार विक्रीत प्लैट की कुल बाजारू मूल्य मुबलिंग रू0 _____/- होती है जो कि विक्रय मूल्य से अधिक है। चूंकि क्रेता _____ है इसलिये उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना आदेश संख्या स0वि0क0नि0 - _____ दिनांक _____ के अनुक्रम में 6 प्रतिशत की दर से रू0 _____/- पर रू0 _____/-एवम शेष रू0 _____/-पर रू0 _____/-का स्टाम्प इसप्रकार कुल रू0 _____/- का जरिये ई-स्टाम्प सं0-_____ दिनांक _____ शुल्क बाजारू मूल्य पर अदा किया जा रहा है, जो कि विक्रय मूल्य से अधिक है।

25. यह कि विक्रय विलेख पर देय स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क क्रेता द्वारा अदा किया जा रहा है तथा स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क में किसी प्रकार की कमी-पेशी की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी क्रेता की होगी।

विक्रीत सम्पत्ति का विवरण

1.3 दुर्बल आय वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) प्लैट संख्या

_____, स्थित एल्डिको काउंटी परिसर,

सेक्टर-09, जवाहरपुरम, (बारासिरोही), कानपुर - 209217, जिला- कानपुर। जिसकी चौहद्दी

निम्नवत है :-चौहद्दी

पूरब :

पश्चिम :

उत्तर :

दक्षिण :

भुगतान का विवरण

कुल विक्रय मूल्य रू0 _____/-(रू0 _____) लाईसेंसी ने क्रेता से प्राप्त किये, जिसकी प्राप्ति लाईसेंसी को स्वीकार है।

अतः यह विक्रय विलेख विक्रेता/ लाईसेंसी एवं क्रेता ने भली-भांति पढ़कर व सोच समझकर बिना किसी भय, अनुचित दबाव एवं पूर्ण स्वस्थ मस्तिष्क से प्रसन्नचित्त मन से निम्न साक्षीगणों की उपस्थिति में अपने-अपने हस्ताक्षर कर निष्पादित कर दिया ताकि प्रमाण रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

कानपुर

दिनांक :

गवाहान :-

1. (विक्रेता)
2. (लाईसेंसी)
3. (क्रेता)

टाईपकर्ता :-

()

मसविदाकर्ता

()